

उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग-1
संख्या-705/35-1-2007
लखनऊ : दिनांक : मई 14, 2007

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या-456/35-1-2006 दिनांक 21 फरवरी, 2006 द्वारा प्रदेश में जेट्रोफा विकास कार्यक्रम को मिशन मोड में संचालित करने के उद्देश्य से नियोजन विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव के प्रत्यक्ष संरक्षण में जेट्रोफा मिशन सेल का गठन किया गया था। जेट्रोफा मिशन सेल ने प्रदेश में जेट्रोफा विकास की दिशा में अपने द्वारा स्थापित पी-3 माडल के अन्तर्गत प्रयास करते हुए काफी महत्वपूर्ण एवं अग्रणी कार्य निरस्तारित किया है। परिणामस्वरूप पब्लिक सेक्टर की पेट्रोलियम कम्पनियों यथा इण्डियन आयल कारपोरेशन लि०, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० तथा हिन्दुतान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० के अलावा प्राइवेट सेक्टर की अन्य कम्पनियों तथा नन्दन बायो मैट्रिक्स लिमिटेड हैदराबाद, शापूर जी पालन जी एण्ड कम्पनी मुम्बई तथा इनर्जी क्राफ्ट बायोपथूल प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता ने प्रदेश के किसानों के साथ कार्य करने की सहमति प्रदान की है। मिशन सेल द्वारा किये गये प्रयासों से प्रभावित होकर जागरूकता बढ़ने के कारण जेट्रोफा मिशन सेल द्वारा प्रस्तावित प्रारम्भिक 30 जनपदों के अलावा प्रदेश के अन्य जनपदों में भी जेट्रोफा विकास का कार्यक्रम काफी गति पकड़ चुका है। जेट्रोफा मिशन सेल ने किसानों के बीच में जाकर न सिर्फ जेट्रोफा विकास की बात कही जबकि बायो-इनर्जी से जुड़े हुए अन्य अवयवों पर भी विस्तार से चर्चा की जिसके परिणाम-स्वरूप कृषि अपशिष्ट, पशुपालन अपशिष्ट इत्यादि जैव अपशिष्टों को भी ऊर्जा में बदलने की दिशा में काफी गति मिली है।

एतद्वारा जेट्रोफा मिशन सेल का नाम बदलकर बायो-इनर्जी मिशन सेल, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन किया जाता है। इस प्रकार गठित बायो-इनर्जी मिशन सेल के क्रियाकलाप निम्नवत होंगे:-

1. प्रदेश में जेट्रोफा/बायो-जीजल विकास की दिशा में अब तक किये जो रहे प्रयासों को संकलित करते हुए भविष्य में इसे सुचारू-रूप से जारी रखना तथा पूर्व शासनादेश के अन्तर्गत निर्धारित अन्य जिम्मेदारियों को यथावत निर्वहन करना।
2. जैव अपशिष्ट आधारित ऊर्जा के ज्ञात साधनों को जन-जन तक प्रसारित करने की दिशा में आवश्यक समन्वय करना। इसके अन्तर्गत सम्बन्धित विशेषज्ञ संस्थानों तथा प्रदेश में पहले से ही इस दिशा में कार्यरत विभागों/संगठनों के बीच समन्वय का कार्य करना।
3. प्रदेश को ऊर्जा स्वतंत्रता/आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करने हेतु आवश्यक कार्य निरस्तारित करना।

4. बायो-इनर्जी की दिशा में विकास हेतु सम्बन्धित संस्थानों/विशेषज्ञ संगठनों, विद्युतीय एवं व्यवसायिक संगठनों से प्रत्यक्ष सम्वाद करना तथा इस दिशा में कार्यरत उद्यमियों/कम्पनियों को बतौर सुविधा प्रदायकर्ता के रूप में सहयोग प्रदान करना।
5. आर०के०डब्ल्यू० (रूरल नालेज वर्कर) प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वय करना ताकि मानव ऊर्जा का प्रदेश के विकास हेतु सुनियोजित एवं प्रभावी उपयोग किया जा सके।
6. बायो-इनर्जी सेक्टर के प्रभावी विकास हेतु समस्त आवश्यक कदम उठाना।

उपरोक्तानुसार गठित बायो-इनर्जी मिशन सेल की गतिविधियों सम्पूर्ण प्रदेश में तत्काल प्रभाव से प्रसारित की जाती है।

वी० वैकटाचलम्
प्रमुख सचिव

संख्या:

सद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, वैकल्पिक ऊर्जा, उ०प्र० शासन।
4. प्रमुख सचिव, उद्योग, उ०प्र० शासन के निजी सचिव को सूचनार्थ।
5. विशेष सचिव, नियोजन, उ०प्र० शासन।
6. प्रमुख समन्वय अधिकारी, राज्य योजना आयोग।
7. अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
8. राज्य सूचना अधिकारी, एन०आई०सी०, प्रदेश इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9. राज्य नियोजन संस्थान के समस्त प्रभागध्यक्ष।
10. नियोजन अनुभाग-2,3 एवं 4
11. राज्य योजना आयोग-1,2 एवं 3
12. व्यवस्थाधिकारी, योजना भवन, लखनऊ।
13. गार्ड फाइल

19-07
(सुनील कुमार)
सचिव